बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ बिहार सीमित, पटना।

आदेश

बिस्कोमान प्रबंधन को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री चन्द्रभूषण सिंह, सहायक भंडार प्रबंधक(नि0) तत्कालीन प्रभारी अधिप्राप्ति-केन्द्र, बिस्कोमान, दानापुर के द्वारा अधिप्राप्ति वर्ष 2010-11 में मुख्यालय आदेशों का उल्लंघन करते हुए वित्तीय अनियमितता की गई। जैसाकि अनुलग्नक विवरण में विनिर्दिष्ट है। इस अभियोगों के आधार पर ही उन्हें मुख्यालय आदेश ज्ञापांक-स्था0/30/बी0/70 दिनांक-16.04.2013 द्वारा निलंबित किया गया।

2. चूँकि श्री सिंह से इसके द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव का लिखित बयान अधिक-से-अधिक 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर अवश्य उपस्थापित करें तथा साथ ही-
   - क) यह भी बतावें कि क्या वे साक्षात सुनवाई कराना चाहते हैं।
   - ख) उन साक्षियों का यदि कोई हो, नाम एवं पता दें, जिन्हें वे अपने बचाव के पक्ष में बुलाना चाहते हैं,
   - ग) ऐसे अभिलेखों की प्रति/सूची प्रस्तुत करें, जिन्हें वे अपने बचाव के पक्ष में पेश करना चाहते हों।
3. उन्हें निदेश दिया जाता है कि विदित अवधि के अन्दर लगाये गये आरोपों के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी पदाधिकारी(अधिप्राप्ति), बिस्कोमान, पटना को समर्पित करें, जिन्हें इस मामले में संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री सिंह को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उनका लिखित प्रतिवाद-पत्र उपर विनिर्दिष्ट तिथि को या इसके पहले प्राप्त नहीं होगा तो जाँच एकपक्षीय कर ली जाएगी।
5. आरोपों से संबंधित कागजातों को वे अगर देखना चाहें तो किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में स्वयं आकर देख सकते हैं।

ह० 11/11/13
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांकः-स्था०स०अ०प्र०-261-स्प्र-2451

प्रतिलिपिः-

दिनांकः-12-11-2013

1. श्री चन्द्रभूषण सिंह, सहायक भंडार प्रबंधक(नि0), वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी कार्यालय, बिस्कोमान, पटना को आरोप-पत्र उपलब्ध कराते हुए सूचनार्थ एवं आदेशार्थ।
2. श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी पदाधिकारी(अधिप्राप्ति), बिस्कोमान, पटना/आरोप-पत्र की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे अपनी जाँच 30(तीस) दिनों के अन्दर समाप्त कर संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आदेशार्थ उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।

ह० 11/11/13
प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित, पटना-।
आरोप-पत्र

प्रपत्र-'क'

आरोपी का नाम	-	श्री चन्द्र भूषण सिंह
पदनाम	-	सहायक भंडार प्रबंधक(नि0)
वेतनमान-		1400-2300/-
सेवा-निवृत्ति तिथि	-	31.07.2015

आरोप संख्या-1:-

तत्कालीन प्रशासक, बिस्कोमान के आदेश ज्ञापांक-बी/1678 दिनांक-23.11.2011 एवं तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक का आदेश ज्ञापांक-बी/1783 दिनांक-14.12.2011 के द्वारा यह निदेशित किया गया था कि क्षेत्रीय-स्तर पर अधिप्राप्ति व्यवसाय से प्राप्त राशि की निकासी मात्र मुख्यालय प्रेषण के लिए ही की जायेगी, अन्य कार्यों के लिए निकासी पर प्रतिबंध लगाया गया था।

आपके द्वारा दिनांक-23.11.2011 के बाद कुल ₹7,69,590/-(सात लाख उनहत्तर हजार पॉच सौ नब्बे रुपये) की निकासी बैंक से की गई है, जिसमें प्रशासक/प्रबन्ध निदेशक की अनुमति नहीं है। इस तरह से उक्त राशि आपके द्वारा गवन की गई है।

आरोप संख्या-2:-

मुख्यालय के आदेश ज्ञापांक-बी/1678 दिनांक-23.11.2011 एवं ज्ञापांक-बी/1783 दिनांक-14.12.2011 के द्वारा किसी प्रकार के निकासी पर रोक लगाई गई थी, परन्तु आपके द्वारा उक्त आदेश के अवहेलना करते हुए राशि की निकासी की गई है, जिसमें आपने अपने स्पष्टीकरण दिनांक-24.04.2013 के द्वारा स्वीकार किया है। इस तरह आपके द्वारा जानबुझकर आदेश की अवहेलना की गई है।

प्रबन्ध निदेशक